

क्रम सं० 105 (क-1)
रजिस्टर्ड नं० ए० डी0---4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्सडू पोस्ट विदाउद प्री पेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रसाधाररा

विधायी परिशिष्ट

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

इलाहाबाद शुक्रवार 15, मई, 1998 ई०

(वैशाख 25, 1920, शक संवत्)

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय अनुभाग-8 (लेखा)

सं० ए-124/7-न्याय-8-अधि०/98-26/25-95

15 मई, 1998 ई०

अधिसूचना

प० अ०-324

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा 3-क और धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा नियमावली, 1998

भाग एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा नियमावली, 1998 कहीं जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्राप्ति-उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

3-इन नियमों का लागू होना - यह नियमावली राज्य लोक सेवा अधिकरण के ड्राइवरों के पदों पर लागू होगी।

4- परिभाषाएं - इस नियमावली में--

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष से है,

(ख) “पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है;

(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) “संविधान” का तात्पर्य “भारत का संविधान ” से है;

(ङ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(च) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली, या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ड्राइवर सेवा से है;

(ज) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(झ) “निबन्धक” का तात्पर्य राज्य लोक सेवा अधिकरण के निबन्धक से है।

(अ) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

5- सेवा की सदस्य संख्या--सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

भाग-तीन--भर्ती

6-भर्ती का स्रोत--सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ।

7-- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार किया जायेगा ।

भाग-चार

अर्हतायें

8- राष्ट्रियता-- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी; 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रबजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ० प्र० से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

9-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

10-शैक्षिक अर्हतायें--सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, और

(दो) यथास्थिति, भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स नियम-15 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो ।

11-अधिमान्नी अर्हता- अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो,

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

12- चरित्र -- सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान स्वयं कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

13-वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में भर्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:-

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

14-शारीरिक स्वस्थता - किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वकः पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुकः खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

15-रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और नियम-7 के अधीन अनुसूचित जातियों: अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को भी अधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्र में व्यापकः प्रसार रखने वाले एक या अधिक समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करेगा ।

16-सीधी भर्ती की प्रक्रिया - (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायगी। जिसमें निम्नलिखित होंग--

(क) नियुक्ति प्राधिकारी

अध्यक्ष

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी

सदस्य

(ग) यदि नियुक्ति प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों का एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी पिछड़े वर्गों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी।

सदस्य

(घ) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ या उसका नाम निर्देशिती जो सहायक: सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो ।

सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को, जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलायेगा ।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को, अग्रसारित करेगी।

17-- नियुक्ति-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम नियम-16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा ।

18--परिवीक्षा-- (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपभोग नहीं किया है; या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायें किसी प्रति-कर हकदार नहीं होगा ।

19-स्थायीकरण- किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि-

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय,

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

20--ज्येष्ठता- - मौलिक रूप से नियुक्ति सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग-सात

वेतन

21- वेतनमान सेवा में किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय -समय पर अवधारित किया जाय ।

22-परिवीक्षा अवधि में वेतन- फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लो हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

23-दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड- सेवा में किसी सदस्य को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग-आठ

अन्य उपबन्ध

24-पक्ष समर्थन सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

25--अन्य विषयों का विनियमन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

26-सेवा की शर्तों में शिथिलता-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस

नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है ।

27--व्यावृत्ति--इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,
ह० अस्पष्ट
प्रमुख सचिव ।